

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
सप्तम मण्डल, गोरखपुर।

सेवा में,

सचिव,  
कन्दीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्.  
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीत दिहार  
नई दिल्ली, पिन कोड-110092

पत्रांक: एन0ओ0सी0/

विषय:-

प्रकृति इण्टरनेशनल स्कूल, खोटा, चुरामनचक, जनपद कुशीनगर को  
सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये  
जाने के सम्बन्ध में।

/ 2023-24 दिनांक :- 19/09/2023

**महोदय,**  
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं  
को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र राज्य सरकार के  
स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने  
के निर्देश हैं। सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में  
निर्गत नवीन बाइलाज दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 में दिए गए गाइडलाइन के अनुसार  
विद्यालय की शृणि, अवन व अन्य मानक पूर्ण होने की दशा में मण्डलीय समिति की बैठक  
दिनांक 25.05.2023 में मण्डलीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रकृति  
दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित  
प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय के पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेघावी बच्चों  
के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वेसिक शिक्षा परिषद  
द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क  
नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में  
विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता  
सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता  
प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा  
राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतं समाप्त हो जायेगी।
- 5- संस्था के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं  
के कर्मचारियों की भाँति अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य  
भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के  
कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था  
उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पंजिकाओं में रखा जायेगा।

५-

*Raj*  
Principal  
PRAKRITI INTERNATIONAL SCHOOL  
CHURAMAN CHAK KHOTTA, KUSHINAGAR

*Mannat Patel*

१- उक्त सारों में राज्य सरकार के पूर्णानुमोदन को दिया कोई परिवर्तन/शोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिवर्त्तों का अनुपालन करना शरण के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवर्त्तों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गूंफ या शिक्षिता बरती जा रही है तो उक्त प्रदल अनापत्ति प्रभाग-प्रति निरस्ता कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व शरण का होगा।  
भवदीय,

(योगेन्द्र नाथ सिंह)  
संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
सप्तम गण्डल, गोरखपुर।

पृष्ठा ० एन०५३००८०१० ।।। ॥ २ - ३ ॥

/ 2023-24 तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

१- सचिव, भास्यमिक शिक्षा, शिक्षा-७ अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सखनऊ।

२- आयुक्त, गोरखपुर गण्डल, गोरखपुर।

३- जिलाधिकारी, कुशीनगर।

४- शिक्षा निदेशक (भास्यमिक) ऊप्र०, शिविर कार्यालय १८ पार्क रोड, सखनऊ।

५- जिला विद्यालय निरीक्षक, कुशीनगर।

६- प्रबन्धक/प्रधानाधार्य, प्रकृति इंटरनेशनल रजूल, रोद्धा, मुरामगढ़, जनपद कुशीनगर।

७- गार्ड फाइल।

(योगेन्द्र नाथ सिंह)  
संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
सप्तम गण्डल, गोरखपुर।

  
Manager  
Prakriti International School  
Churaman Chak Khotta, Kushinagar

  
Principal  
PRAKRITI INTERNATIONAL SCHOOL  
CHURAMAN CHAK-KHOTTA, KUSHINAGAR.